

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड
जिला—बडवानी म0प्र0

आर.सी.टी.नं. 69 / 18

आप0प्र0क0—76 / 18

संस्थापन दिनांक—20.04.18

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र
ठीकरी, जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

दिलीप पिता गजानंद कुमावत उम्र 37 साल,
निवासी विश्वनाथ खेडा, थाना ठीकरी जिला बडवानी म.प्र.

.....अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 20.04.2018 को घोषित)

01— अभियुक्त दिलीप पिता गजानंद कुमावत के विरुद्ध धारा 4 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अंतर्गत आपने दिनांक 01.01.2018 को समय 14. 10 बजे स्थान भावसिंग बाबा ग्राउण्ड दवाना थाना ठीकरी अवैध रूप से पैसों का लेनदेन कर सट्टा पर्ची पर सट्टा अंक लिख रहा था, और किसी अंक अथवा संख्या के संयोजन को वर्ली, मटका अथवा खेल के किसी रूप में प्रकाशित करके या प्रकाशित करने का प्रयत्न करके ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 4 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 के तहत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 01.01.2018 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विश्वनाथ खेडा का दिलीप पिता गजानंद भावसिंग बाबा मेला ग्राउंड दवाना में लोगो से पैसे लेकर सट्टा पाना लिख रहा है। सूचना से राहगीर पंचान रुपेश व संतोष को अवगत कराकर हमराह को लेकर भावसिंग बाबा मेला ग्राउंड दवाना पहुंचे। जहां दिलीप

//2//

आर.सी.टी.नं. 69 / 18

आप0प्र0क0-76 / 18

संस्थापन दिनांक-20.04.18

पिता गजानंद को लोगो से पैसे लेकर सट्टा पाना लिखते रंगे हाथ पकड़ा दिलीप पिता गजानंद से पंचान रुपेश व संतोष के समक्ष 290/-रुपये नगदी सट्टा अंक लिखी 4 पर्चिया व एक लीड पेन मिला। आरोपी का कृत्य धारा 4 क द्युत अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने से उपरोक्त आरोपी से जप्त सट्टा पर्ची 4 व नगदी 290/-रुपये विधिवत कब्जे से जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया व आरोपी को गिरफ्तार किया गया और थाने के अप0 क0 02/18 पर प्रथम सूचना लेख कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- प्रकरण में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को सट्टा पर्ची लिखकर रुपये पैसों की हारजीत का दाव लगाना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छा पूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 4 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है ।

05- अभियुक्त को धारा 4 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नही किये जाने पर अभियुक्त को 07 दिवस का कारावास प्रथक से भुगताया जावे।

06- प्रकरण में आरोपी से जप्त धनराशि 290/-रुपये के संबंध में अन्य अभियुक्त या अन्य किसी ने इसी प्रक्रम पर यह दावा नही किया है और इस राशि का स्वयं से जप्त होना स्वीकार नही किया है। इसलिए यह आदेशित

// 3 //

आर.सी.टी.नं. 69 / 18

आप0प्र0क0-76 / 18
संस्थापन दिनांक-20.04.18

किया जाता है कि यह धनराशि अपील अवधि पश्चात राजसात हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा। प्रकरण में जप्तशुदा लीड पेन व 4 अंक लिखी सट्टापच्ची अपील अवधि पश्चात नष्ट हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा।

07- अभियुक्त कभी भी न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

08- धारा 428 दंप्रसं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

सही / -

सही / -

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बडवानी म0प्र0

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बडवानी म0प्र0